तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए ।
25/10/18	रसिक (बिहारी) द्वारा [illegible] मुनशी बैंक व [illegible] दावा [illegible] द्वारा वादी स्थापित किया जाता है। नियुक्त नियम मुताबिक रजिस्टर/[illegible] अन्दर दाखिल किया गया। पत्रावली [illegible] [illegible] है।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती तारामती वैष्णव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	किस्म	ता0दायरा	तारीख निर्णय
19 / 14	दावा	02.04.2014	29.10.2018

रसिक बिहारी दास चेला श्री द्वारिका दास आयु 55 साल जाति ब्राहम्ण निवासी अमरगढ तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–वादी

बनाम

1. मुन्शी पुत्र कजोड़या आयु 55 साल।
2. मुकेश पुत्र कोरया आयु 30 साल ।
3. परभाती पुत्र कोरया आयु 28 साल ।
4. राजेश पुत्र कोरया आयु 35 साल ।

सभी जाति बैरवा निवासी अमरगढ तह0 सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 183, 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः– श्री नदीम खॉन एड0 वकील वादी।

श्री कमरपाल मीना एड0 वकील प्रतिवादीगण।

संक्षेप में वाद तथ्य वादी इस प्रकार से है कि वादी ने एक वाद विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नं0 254 रकबा 03 बीघा, ख0नं0 255 रकबा 16 बिस्वा वाके ग्राम अमरगढ तहसील सपोटरा वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की है, जिनके सारे अधिकार वादी मे वेस्ट करते है जिससे प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है। प्रतिवादीगण एक लड़ाकू किस्म किस्म के व्यक्ति है और राज तेज से निडर व्यक्ति है तथा पैसे वाले है वर्तमान मे सरपंच इनके परिवार मे से है। जिसके कारण यह लोग अपनी मनमानी करते है तथा चाहे जिसकी भूमि पर नाजायज कब्जा कर लेते है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 10.02.2014 को वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त भूमि मे पश्चिम दिशा की ओर पहाड़ के सहारे सहारे अतिक्रमण करके जबरन अपने अपने आवासीय मकान बिना किसी स्वीकृति के तथा बिना भूमि को कन्वर्ट कराये अनलीगल बना लिये है और वादी की भूमि पर मकान बनाकर जबरन अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है तथा एलानिया धमकी दी कि उक्त भूमि मे अभी और मकान बना कर कब्जा करेगें और उक्त भूमि मे काश्त नही करने देगें। इसलिए वादी ने अपनी खातेदारी की भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखलकर वादी को कब्जा दिलाये जाने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज कर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी सं0 1, 3 तथा 4 बावजूद तामील उपस्थित नही आये है इसलिए इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश प्रारित किये गये। प्रतिवादी सं0 2 ने जरिये वकील अपना जवाबदावा पेश कर कथन किया कि वादी चतुर, चालाक, राजनैतिक किस्म के व्यक्ति है। प्रतिवादीगण गरीब जाति से बैरवा है। आये दिन वादी परेशान करते रहते है। प्रतिवादीगण का रियासत काल से उक्त आराजी पर बसावट कर रखी है। जिसमे हम प्रतिवादीगण ने राज्य सरकार की लाभकारी योजना इन्द्रा आवास से मकान बना रखे है। वादी का उक्त आवासों से कोई लेना देना नही है। वाद पत्र मे दर्ज उक्त आराजीयात प्रतिवादीगण के उक्त आवासों से दूर स्थित है। वादी को दावा करने के बजाय सीमाज्ञान करवाना था लेकिन हम गरीब व्यक्तियों को तंग व परेशान करने की वजह से दावा पेश किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः वादी का वाद पत्र खारिज फरमाया जावे।

वाद तथ्य, जवाबदावा एवं पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर पांच तनकीयात कायम की गई। वकील वादी ने साक्ष्य मे वादी रसिक बिहारी पीडब्ल्यू–1, गवाह घनश्याम पीडब्ल्यू–2 एवं शिवचरण पीडब्ल्यू–3 के शपथ पत्र पेश किये जिनसे जिरह रिकार्ड की गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे वकील वादी ने नकल जमाबंदी ग्राम अमरगढ सम्बत् 2067–70 प्रदर्श–1, नक्शा ट्रेस प्रदर्श–2 पेश किये है। प्रतिवादीगण ने कोई मौखिक साक्ष्य पेश नही किये है तथा ना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये है।

उपखण्ड अधिकारी सपोटरा, जिला करौली

Scanned by CamScanner

विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। दावा, जवाबदावा, उपलब्ध दस्तावेजो व बहस के अनसुार तनकीवाईज विवेचन निम्न प्रकार है:—

1. **आया विवादित आराजीयात वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसमे प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही है ?** इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। पत्रावली मे संलग्न जमाबदी सं0 2067–70 के अनुसार ग्राम अगरगढ की विवादित आराजीयात वादी की रिकार्डेड खातेदारी मे दर्ज है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष मे विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।
2. **आया वादी प्रतिवादीगण को अपनी खातेदारी की भूमि से बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है ?** इस तनकी को भी साबित करने का भार वादी पर है। पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2067–70 अनुसार वादी विवादित आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार हैं। किन्तु वादी ने ऐसा कोइ साक्ष्य एवं दस्तावेज पेश नही किये जिनसे यह साबित सके कि विवादित आराजीयात पर प्रतिवादीगण का कब्जा हो उस पर आवासीय मकान बने हो। बिना किसी प्रमाणिक आधार के प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाना उचित प्रतीत नही होता है इसलिए यह तनकी विरूद्व वादी तय की जाती है।
3. **आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है ?** इस तनकी को साबित करने का भार भी वादी पर है। तनकी सं0 2 के विवेचन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात वादी की सेपरेट खातेदारी की भूमि है किन्तु वादी यह साबित नही कर पाया कि विवादित आराजीयात पर प्रतिवादीगण का कब्जा हो। इसलिए वादी प्रतिवादीकण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी नही है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्व तय की जाती है।
4. **आया वादी ने दावा प्रतिवादीगण को परेशान व तंग करने की नियत से पेश किया है, जो चलने योग्य नही है, दावा वादी खारिज होने योग्य है ?** इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण को है। वादी कही पर भी यह साबित नही कर पाया कि प्रतिवादीगण का वादी की खातेदारी की आराजीयात पर अवैध कब्जा हो और उस पर प्रतिवादीगण ने आवसीय मकान बना रखे हो। वैसे प्रतिवादीगण ने ना तो अपनी मौखिक साक्ष्य करवाई है और ना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये है। किन्तु यह स्पष्ट है कि वादी ने वाद पत्र केवल प्रतिवादीगण को परेशान करने की नियत से पेश किया है। इसलिए यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष मे तय की जाती है।
5. **अनुतोषः—** उपर्युक्त तनकीवाईज विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादी विवादित भूमि का खातेदार दर्ज रिकार्ड है किन्तु प्रतिवादीगण का वादी की खातेदारी की भूमि पर किसी प्रकार का कोई अवैध कब्जा हो साबित नही कर पाया इसलिए वादी प्रतिवादीगण को बेदखल कराकर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी नही है अतः दावा वादी खारिज किया जाना उचित है।

अतः दावा वादी खारिज किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। आदेश आज दिनांक 29.10.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

(तारामती वैष्णव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned by CamScanner